रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112024-258531
CG-DL-E-08112024-258531

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2024/कार्तिक 16, 1946
No. 4463] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2024/KARTIKA 16, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2024

का.आ. 4844(अ).—जहांकि, केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और तदनुसार, इसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के तहत यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित वाले लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है; और एतद्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारूप अधिसूचना में निहित किसी प्रस्ताव को लेकर कोई आपत्ति है या वह कोई सुझाव देना चाहता है तो वह उसे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तथा लिखित रूप में केन्द्र सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 के पास या ई-मेल पते diriapolicy-moefcc@gov.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जहांकि, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या का.आ. 60 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 1994 के द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में कोई नई परियोजना शुरू करने या अधिसूचना में शामिल किसी मौजूदा उद्योग या परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के साथ-साथ कुछ प्रतिबंध और निषेध भी लगाए थे;

और जहांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार "और शांत बहती मैली यमुना" बनाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 725 / 1994 और रिट याचिका (सिवलि) संख्या 4677 / 1985 में अपने 12 दिसंबर 2003 के आदेश में कहा था कि भवन निर्माण से पर्यावरण को नुकसान होता है और इसलिए, ऐसी निर्माण परियोजनाओं को 1994 की उक्त अधिसूचना के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है, इसलिए, उक्त अधिसूचना को संख्या का.आ. 801(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2004, द्वारा संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत भवन और निर्माण परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को इसके दायरे में लाया गया था तथा पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को आवश्यक बनाया गया था;

और जहांकि, इसके पश्चात् केन्द्र सरकार ने उक्त अधिसूचना को, संख्या का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (एतश्मिनपश्चात् जिसे ईआईए अधिसूचना कहा गया है) के तहत अधिक्रमण कर दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसकी अनुसूची की मद 8 (क) और (ख) के अंतर्गत आने वाली भवन और निर्माण परियोजनाओं तथा टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर कतिपय प्रतिबंध और प्रतिषेध लगाए गए थे तथा ऐसे किसी भी क्रियाकलाप के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी को आवश्यक बनाया गया था;

और जहांकि, इसके पश्चात् केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अंतर्गत 11 सितम्बर, 2014 को एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में मद 8 (क) और (ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में संशोधन के लिए सभी संबंधितों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गईं थीं तथा प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने और उन्हें सम्मिलित करने के पश्चात् संख्या का.आ. 3252 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के तहत अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी;

और जहांकि, 11 सितंबर, 2014 और 22 दिसंबर , 2014 की प्रारूप अधिसूचना की तुलना से यह स्पष्ट है कि अनुसूची के मद 8(क) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं या गतिविधियां अंतिम अधिसूचना की अनुसूची के मद 8(क) के अंतर्गत आती रहेंगी, सिवाय इसके कि औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए छात्रावास ईआईए अधिसूचना के दायरे में शामिल नहीं हैं, इस शर्त के अधीन कि ऐसे भवन सतत पर्यावरण प्रबंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन सुनिश्चित करेंगे और फ्लाई ऐश ईंटों जैसे पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग कर सकेंगे, इस प्रकार, ऐसी परियोजनाएं या गतिविधियां जो प्रारूप अधिसूचना के दायरे में शामिल थीं, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए छात्रावासों और औद्योगिक शेड को छोड़कर अंतिम अधिसूचना में शामिल रहेंगी, और सामान्य शर्तों के लागू न होने संबंधी संशोधन और निर्मित क्षेत्र की परिभाषा मामूली संशोधन के साथ विद्यमान रहेंगी और टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाओं को मद 8(ख) के तहत श्रेणी 'ख1' के रूप में वर्गीकृत करना और ऐसी परियोजनाओं के लिए सामान्य शर्तों के लागू न होने संबंधी प्रावधान प्रारूप अधिसूचना और अंतिम अधिसूचना दोनों में अपरिवर्तित बने रहेंगे;

और जहांकि, अंतिम अधिसूचना में असावधानी के कारण यह कहा गया था कि प्रारूप अधिसूचना पर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और जहांकि, अंतिम अधिसूचना में संशोधन का प्रस्ताव करके असावधानी के कारण हुई उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने का प्रयास किया गया था, परंतु ऐसा हो नहीं सका;

और जहांकि, केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 3097/2016 के मामले में अपने दिनांक 6 मार्च 2024 के आदेश के तहत 'वन अर्थ वन लाइफ बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य' में 22 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अंतिम अधिसूचना प्रारूप अधिसूचना से अलग थी, हालांकि मंत्रालय को कानून के अनुसार एक नई अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी;

और जहांकि, केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल आवेदन संख्या 93/2024 में 9 अगस्त, 2024 के अपने आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ईआईए अधिसूचना की अनुसूची के मद 8 (क) और (ख) के संबंध में सामान्य शर्तों की प्रयोज्यता से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने या इस संबंध में स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था;

और जहांकि, केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के मद्देनजर, विभिन्न भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की प्रयोज्यता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12 दिसंबर 2003 के निर्णय का पालन करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने की तत्काल आवश्यकता है ;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

परियोजना या गतिविधि		सीमा रेखा वाली श्रेणी		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		भवन या संनिर्माण परियोजनाएं या नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		
8(क)	भवन निर्माण और परियोजनाएं		≥ 20000 वर्ग मीटर और < 1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" को, सभी तलों पर इकट्ठे निर्मित या आच्छादित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत बेसमेंट और अन्य सेवा क्षेत्र भी हैं जिनका भवन/निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किया गया है। **टिप्पण 1:** परियोजना या कार्यकलापों में औद्योगिक शेड, विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिक संस्थाओं के लिए छात्रावास शामिल नहीं होंगे किंतु ऐसे भवन भरणीय पर्यावरणीय प्रबंधन ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण का सुनिश्चय करेंगे और वे पुनः चक्रित सामग्रियों जैसे भस्म ईंटों का उपयोग कर सकेंगे। **टिप्पण 2:** "सामान्य शर्तें" लागू नहीं होंगी।

8(ख)	नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		जो ≥50 हेक्टेयर के क्षेत्र और या ≥1,50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर कर रही हैं	इस मद के अधीन आने वाली नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाओं से पर्यावरण निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित होगी और उनका निर्धारण श्रेणी "ख1" परियोजना के रूप में किया जाएगा। **टिप्पण :** "साधारण शर्तें" लागू नहीं होंगी।

[फा. सं. आईए3-3/46/2024- आईए. III]

डॉ. अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 2215(अ) तारीख 7 जून, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2024

S.O. 4844(E).—WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* its notification number S.O.60(E) dated the 27th January, 1994 imposed certain restrictions and prohibitions and requirement of prior environmental clearance for undertaking any new project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project covered in the notification;

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court in its order dated the 12th December 2003 in WP (C) No. 725 of 1994 and WP (C) No. 4677 of 1985 in the matter of news item published in Hindustan Times titled "And Quiet Flows the Maily Yamuna" Vs Central Pollution Control Board and Others observed that building construction causes damage to the environment and, therefore, such construction projects may be considered to be brought within the purview of the said notification of 1994, hence, the said notification was amended *vide* number S.O 801(E), dated the 7th July, 2004 bringing within its purview certain categories of building and construction projects and required prior environmental clearance;

AND WHEREAS, subsequently the Central Government superseded the said notification, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification), interalia, imposing certain restrictions and prohibitions on building and construction projects and township and area development projects covered under item 8 (a) and (b) of the Schedule thereof and required prior environment clearance for undertaking any such activities;

AND WHEREAS, the Central Government under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, subsequently published a draft notification on 11th September, 2014, inviting suggestions and objections of all concerned to the amendment in the Schedule of the EIA Notification in respect of items 8 (a) and (b) and the entries relating thereto and after considering and incorporating all the suggestions and objections received in respect of the draft notification, made the final notification *vide* number S.O.3252(E) dated the 22nd December, 2014;

AND WHEREAS, it is evident from the comparison of the draft notification dated 11th September, 2014 and 22nd December, 2014 that the projects or activities covered under item 8(a) of the Schedule continue to be covered under item 8(a) of the Schedule of the final notification except that industrial sheds, schools, colleges, hostel for educational institutions are not included under the scope of the EIA notification, subject to the condition that such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid waste management, rain water harvesting and may use recycled materials such as fly ash bricks, thus, the projects or activities which were included within the ambit of the draft notification continue to be included in the final notification except for hostels for educational institutions and industrial sheds, and the amendments related to non-applicability of general conditions and the definition of built up area continue to exist with minor modification and the categorisation of townships and area development projects as category 'B1' under item 8(b) and the provision related to non-applicability of General Conditions for such projects continued to remain unchanged in both the draft notification and final notification;

AND WHEREAS, in the final notification, it was inadvertently stated that no objections or suggestions were received on the draft notification;

AND WHEREAS, an attempt was made to rectify the aforementioned inadvertent error by proposing an amendment in the final notification but could not be done;

AND WHEREAS, the High Court of Kerala, Ernakulam, *vide* its order dated the 6th March, 2024, in the matter of WP (C) No. 3097 of 2016 titled One Earth One Life vs. the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Anr., quashed and set aside the notification dated the 22nd December, 2014 on the grounds that the final notification was different from the draft notification while granting liberty to the Ministry to issue a fresh notification, in accordance with the law;

AND WHEREAS, in the light of judgement of Kerala High Court, the National Green Tribunal, *vide* order dated 9th August, 2024, in Original Application No. 93 of 2024, *interalia*, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to either comply with the provisions related to the applicability of General Conditions in respect of items 8 (a) and (b) of the Schedule to the EIA notification or to issue a clarificatory notification in this regard;

AND WHEREAS, in view of the judgment of the Kerala High Court and the order of the National Green Tribunal, there is an urgent need to issue a fresh notification for adhering to the judgement of the Supreme Court dated the 12th December 2003 regarding applicability of prior Environmental Clearance for various building construction projects;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: -

In the said notification, in the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted namely:-

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8		Building or Construction projects or Area Development Projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq.m. and < 1,50,000 sq. m. of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is defined as the built up or covered area on all floors put together, including its basement and other service areas, which are proposed in the building or construction projects. **Note 1.-** The projects or activities shall not include industrial shed, school, college, hostel for educational institution, but such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid waste management, rain water harvesting and may use recycled materials such as fly ash bricks. **Note 2.-** General Conditions shall not apply.

8 (b)	Townships and Area Development Projects		Covering an area ≥ 50 ha and/or built up area ≥ 1,50,000 sq. m.	A project of Township and Area Development Projects covered under this item shall require an Environment Impact Assessment report and be appraised as Category 'B1' Project. **Note. -** General Conditions shall not apply".

[F. No. IA3-3/46/2024-IA. III]

Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O. 2215(E) dated 7th June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.08 11:54:08 +05'30'